

अब होगी

छटाई

हिंदी विवेक

WE WORK FOR A BETTER WORLD

Issue : 20 - 26 July 2025





जिद्दी दाग
हटाता है।



नींबू और गुलाब के
सुगंध से युक्त।

An aerial photograph showing a wetland area with a grid of drainage canals. The canals are straight lines that divide the land into rectangular sections. The water in the canals and the surrounding wetland is a dark, mottled blue-grey color.

जिद्दी दाग निकालने
में नाकामयाब

साधारण फ्लोअर क्लीनर से सफाई करने में ज्यादा मेहनत लगती है और किटाइनरहित सफाई भी नहीं मिलती।

Pitambari Products Pvt. Ltd.: Maharashtra: 8291853804, North: 7011012599, South: 7674889939,
East: 7752023380, 9867102999, CRM: 022 - 6703 5564 / 5699,
Toll Free: 18001031299 | Visit: www.pitambari.com/shop | CIN: U52291MH1989PTC051314

अनुक्रमणिका

■ लोकतांत्रिक शुद्धिकरण का प्रयास	डॉ. रविंद्र सिंह भड़वाल	04
■ मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील	डॉ. ओंकार लाल श्रीवास्तव	07
■ इसरो को व्यापक बनाती शुभांशु की सफल वापसी	डॉ. शुभ्रता मिश्रा	09
■ महाराष्ट्र में जनसुरक्षा बिल पारित	डॉ. सुरेंद्र कुमार मिश्र	11
■ जेलों में इस्लामिक कट्टरता का बढ़ता संकट	डॉ. शशांक द्विवेदी	12
■ छद्मी बाबाओं से बचाएगा 'कालनेमि अभियान'	मृत्युंजय दीक्षित	14
■ किशोरों की हिंसक मनोवृत्ति चिंतनीय	डॉ. मोनिका शर्मा	16
■ जिहादी के भेष में पाकिस्तानी सैनिक	रंजीत कुमार	17
■ निमिषा प्रिया को फांसी या माफी!	पंकज जायसवाल	18
■ आयु तो बस एक संख्या है	डॉ. हिमांशु थपलियाल	20
■ अंग प्रत्यारोपण एक जीवनदाई प्रक्रिया	डॉ. कृष्णा नंद पांडेय	21
■ यूपीआई ने वीजा को पीछे छोड़ा	प्रहलाद सबनानी	23
■ मोस्टामानू : यहां होती है मनोकामना पूरी	संकलन	25
■ संवेदनाओं को कुरेदती 'तन्वी: द ग्रेट'	देवेंद्र खन्ना	26
■ जंगल सत्याग्रह और डॉ. हेडगेवार	विजय कुमार	27
■ विविधताओं का रंग गाढ़ा करती चितेरी कला	मनोज कुमार बच्चन	28
■ समाचार		30

पंजीयन शुल्क



UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

वार्षिक मूल्य : 500 रुपये, त्रैवार्षिक मूल्य : 1200 रुपये
पंचवार्षिक मूल्य : 1800 रुपये, आजीवन मूल्य : 20,000 रुपये

कार्यालय : प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर-10, सेक्टर-2, श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे, हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई- 400067 फोन नं. : 022-28675299, 022-28678933

जब मतदाता सूची में गैर-नागरिकों के नाम दर्ज हो जाते हैं, तो इससे न केवल संविधान की मूल भावना आहत होती है, बल्कि वास्तविक नागरिकों के अधिकार भी कमजोर पड़ते हैं। ऐंसे में चुनाव आयोग द्वारा नागरिकता की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र की मांग कोई अत्याचार नहीं बल्कि लोकतंत्र की शुद्धि का प्रयास है।



डॉ. रविंद्र सिंह भड़वाल

मतदाता सूची पुनरीक्षण

लोकतांत्रिक शुद्धिकरण का प्रयास

बिहार विधानसभा चुनाव समीप है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेसिव रिवीजन) के कारण इसके विरोध और समर्थन में चर्चाएं जारी हैं। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण का उद्देश्य बनावटी और गैर नागरिक मतदाताओं को सूची से हटाना है ताकि चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र ढंग से सम्पन्न हो सके।

इस प्रक्रिया के अंतर्गत घर-घर जाकर मतदाताओं की पुष्टि की जा रही है। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी के अनुसार बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत अब तक 66.16 प्रतिशत यानी 5.22 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म एकत्र किए जा चुके हैं। यह पुनरीक्षण कार्य 24 जून से शुरू हुआ था और अब तक 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 5.22 करोड़ के एन्युमरेशन फॉर्म जमा हो चुके हैं। बिहार में इस अभियान को लेकर विपक्षी दलों ने तीखा विरोध जताया है और इसे सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी।

स्पेशल इंटेसिव रिवीजन के अंतर्गत चुनाव आयोग का काम मतदाता सूची को अपडेट करना होता है। इसमें यदि किसी व्यक्ति का निधन हो गया है, किसी का क्षेत्र बदल गया

है आदि तो ऐसे व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है, तो उसका नाम मतदाता सूची से जोड़ दिया जाता है। ऐसे में जिस व्यक्ति का नाम पहले से मतदाता सूची में है, तो उसे किसी तरह का कोई कागजात नहीं दिखाना होता है। यदि किसी का नाम कटता है तो वो चुनाव आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार कागजात दिखाकर अपना नाम जुड़वा सकता है। इसका सीधा-सीधा मतलब यह है कि चुनाव आयोग ने बिहार के लोगों से कहा है कि वे आयोग की ओर से बताए गए 11 प्रमाण पत्र में से किसी एक को बनवा लें, वरना वे चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे।

स्पेशल इंटेसिव रिवीजन का विपक्षी दल जमकर विरोध कर रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 'षड्यंत्र' कहा है। तेजस्वी ने दावा किया है कि चुनाव आयोग भाजपा के 'आदेश' पर काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को गरीब मतदाताओं के नाम हटाने के लिए कहा गया है, पर यहां एक बड़ा प्रश्न यह है कि क्या विपक्ष को इस बात का डर है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का चुनाव परिणामों पर असर हो सकता है। क्या उसे इस बात का डर है कि इससे

उसे राजनीतिक हानि हो सकती है? चुनाव आयोग तो पहले भी कई बार स्पेशल इंटेसिव रिवीजन की प्रक्रिया को देश में सम्पन्न करवा चुका है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि 58 वर्षों में जो काम 9 बार किया गया, अब वो काम 22 वर्षों में एक बार होने जा रहा है तो विपक्ष इतना परेशान क्यों है? जो कार्य 9 बार पहले किया गया तो ठीक था, परंतु अब ऐसा क्या हो गया है कि संविधान और लोकतंत्र संकट में आ गया है?

चुनावों के सम्बंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद-326 का विशेष महत्व है। संविधान का अनुच्छेद-326 कहता है कि भारत में 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति भारतीय मतदाता के रूप में वोट डाल सकता है, किंतु इसके लिए शर्त यह है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। चुनाव आयोग का कहना है कि यह सुनिश्चित करना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि केवल भारत के नागरिक ही चुनाव में मतदान कर सकें और ऐसा करने के लिए चुनाव आयोग को नियमित अंतराल पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने या इसका वेरिफिकेशन करने की आवश्यकता होती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के दौरान मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर रोक लगाने से मना कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी

है, पर विपक्षी दल सर्वोच्च न्यायालय की इस तर्क से हताश-परेशान दिख रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि तेजी से शहरीकरण, लगातार माइग्रेशन, युवा वोटर्स का मतदान के लिए पात्र होना और विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम का मतदाता सूची में शामिल होना मतदाता सूची के रिवीजन के अहम कारण हैं। मतदाता के रूप में नामांकन से पहले हर व्यक्ति का वेरिफिकेशन करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाने की आवश्यकता है। अवैध घुसपैठ भारत की बड़ी समस्या है।

एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 6 करोड़ बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अन्य मुस्लिम देशों से आए अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों का भी दावा है कि बिहार में बड़ी संख्या में विदेशी रह रहे हैं। चुनाव आयोग अधिकारियों ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि हमने मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए घर-घर जाकर दौरे किए। इस दौरान हमें नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोग बड़ी संख्या में मिले हैं। इससे बिहार में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के आयोजन को लेकर चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक है।

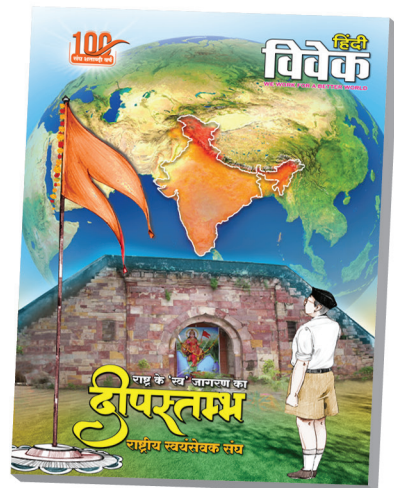
● ● ●

स्वयं के लिए और अपने परिजनों के लिए ग्रंथ का पंजीयन करें

इस ग्रंथ में आप पढ़ेंगे

- संघ में हो रहे अनगिनत सेवा कार्यों का परिणाम क्या है?
- डॉ. हेडगेवार जी से लेकर डॉ. मोहन भागवत जी तक के सभी सरसंघचालकों का दिशादर्शन...
- राजनीति को केंद्र में न रखकर राष्ट्रीयत्व को क्यों केंद्र में रखा?
- भारत के सम्मुख चुनौतियां और संघ कार्य का प्रभाव
- संघ विचारधारा और परिवर्तन जैसे विविध मौलिक विषय

ग्रंथ का मूल्य
₹ 700/-



ईमेल - hindivivekvargani@gmail.com

Draft or Cheque should be drawn in the name of

HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank Details : State Bank of India, Branch - Charkop, A/C No. : 00000043884034193, IFSC Code : SBIN0011694

ग्रंथ पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

सम्पर्क

प्रशांत : 9594961855, संदीप : 9082898483

भोला : 9702203252, कार्यालय : 9594991884



UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।



Finest Saffron In The World



- Benefits Of Saffron**
- Boosts Brain Health
 - Improves Digestion
 - Improves Vision
 - Prevents Hair Loss



#CelebrateSaffronEveryday

केसर



Vipin
Aggarwal
**THE SAFFRON
EXPERT**

TM

एक गैर-हस्तांतरणीय दिव्य उपहार पूजा और प्रसाद सम्पूर्ण



- शुद्धता, पवित्रता और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है
- दिव्य आशीर्वाद का आह्वान करता है, शांति और ज्ञान लाता है
- धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान भक्तों के माथे को सुशोभित करता है
- प्रसादम के संवेदी अनुभव को बढ़ाने का एक पवित्र घटक
- केसर उपहार अमूल्य और गौरव का प्रतीक है

शुद्ध केसर उपहार को लोग इसके शुभ मूल्य और आध्यात्मिक जुड़ाव के कारण रखना पसंद करते हैं



Groceries Impex: 99990 92561 | 96506 35204 | vipin@groceriesimpex.com

Registered Office Address: R-49, Rita Block, Shakarpur, Delhi - 110092. | Managing Unit: D-94/A, Matiala Extension, Dwarka, New Delhi - 110059



बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। जिसको लेकर राज्य में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम जारी है। इस कार्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आगामी 28 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी।



डॉ. ओंकार लाल श्रीवास्तव

मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील

सुप्रीम कोर्ट ने विगत 10 जुलाई को विभिन्न लोगों द्वारा दायर याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के नेतृत्व में कई याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत दलीलों को संज्ञान में लेते हुए मामले में सुनवाई की सहमति जताई। मतदाता पुनरीक्षण के विरुद्ध सुप्रीम

कोर्ट में राजद के सांसद मनोज झा, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने याचिका दायर की है।

24 जून 2025 को चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार, 2003 की मतदाता सूची में शामिल न होने वाले मतदाताओं को अपनी नागरिकता साबित करने वाले

कागजात जमा करने होंगे। दिसम्बर 2004 के बाद जन्में मतदाताओं को भी अपने माता-पिता दोनों के नागरिकता कागजात जमा करने होंगे, अगर माता-पिता में से कोई एक विदेशी नागरिक है तो अतिरिक्त शर्तें भी लागू होंगी। एसआईआर दिशानिर्देशों के तहत, 2003 की मतदाता सूची में शामिल न होने वाले मतदाताओं को अब अपनी नागरिकता साबित करने वाले कागजात जमा करने होंगे। दिसम्बर 2004 के बाद जन्में मतदाताओं के लिए, निर्देश न केवल उनके अपने कागजात, बल्कि माता-पिता दोनों के कागजात भी अनिवार्य करता है। जिन मामलों में माता-पिता विदेशी नागरिक हैं, उनके लिए आदेश में आवेदक के जन्म के समय उनका पासपोर्ट और वीजा मांगा गया है।

सुप्रीम कोर्ट विपक्षी दलों के नेताओं और कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें चुनाव आयोग के 24 जून के निर्देश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि इस प्रक्रिया की समय-सीमा बहुत कम है क्योंकि बिहार में इस वर्ष नवम्बर में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर याचिकाओं पर उसका जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से आग्रह किया कि वह आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाताओं की पहचान साबित करने के लिए आधार, राशन कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी कार्ड) को स्वीकार्य कागजातों के रूप में अनुमति देने पर विचार करें।

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से मना कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग से बार-बार पूछा कि वह पहचान साबित करने के लिए आधार को एक माध्यम के रूप में कैसे अस्वीकार कर सकता है। न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की, हमारा मानना है कि चूंकि धारा 23 के अनुसार मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आधार को एक ठोस प्रमाण माना गया है, इसलिए इसे शामिल किया जाना चाहिए। आपकी (चुनाव आयोग की) गणना सूची पूरी तरह से पहचान से सम्बंधित है - मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र वगैरह।

अंततः, पीठ ने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने सम्बंधी कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया, लेकिन चुनाव आयोग से कहा कि यदि वह मतदाताओं द्वारा अपनी पहचान साबित करने के लिए दिए जाने वाले कागजातों की सूची में आधार, राशन कार्ड और ईपीआईसी को शामिल नहीं करने का निर्णय लेता है, तो वह इस पर स्पष्टीकरण दें। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, कागजातों का अध्ययन करने के बाद, चुनाव आयोग ने बताया है कि मतदाताओं के सत्यापन के लिए कागजातों की सूची में 11 कागजात शामिल हैं और यह सम्पूर्ण नहीं है। इसलिए, हमारी राय में, यह न्याय के हित में होगा यदि आधार कार्ड, ईपीआईसी कार्ड और राशन कार्ड को भी इसमें शामिल किया जाए। यह चुनाव आयोग पर निर्भर है कि वह कागजात लेना चाहता है या नहीं। यदि वह कागजात नहीं लेता है, तो उसे इसके लिए कारण बताना होगा और इससे याचिकाकर्ताओं को संतुष्ट होना होगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता एसआईआर करने के चुनाव आयोग के अधिकारों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि चुनाव निकाय द्वारा इसे करने के तरीके को चुनौती दे रहे हैं। न्यायालय ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या चुनावों से ठीक पहले मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का सहारा लेने में बहुत देर हो चुकी है? न्यायमूर्ति बागची ने कहा, गैर-नागरिकों को मतदाता सूची में न रहने देने के लिए इस गहन प्रक्रिया को अपनाने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यह आगामी चुनाव से पहले ही लागू होना चाहिए। न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा, एक बार मतदाता सूची अंतिम रूप से तैयार हो जाए और अधिसूचित हो जाए और उसके बाद चुनाव हों तो कोई भी अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। न्यायालय ने आगे कहा कि नागरिकता के मामले में साक्ष्यों का मूल्यांकन सख्त होना चाहिए और यह एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। पुनरीक्षण में आधार कार्ड को कागजातों की सूची से बाहर रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

मतदाता पुनरीक्षण प्रत्येक चुनाव के पूर्व होने वाली तथा वार्षिक आधार पर होने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक भारतीय नागरिक संविधान के अनुच्छेद 5 एवं 326 के अंतर्गत मतदान का अधिकार रखता है, अतएव केवल भारतीय नागरिक ही मतदान का अधिकारी है।



मिशन अंतरिक्ष

कैप्टन शुभांशु शुक्ला की इस सफल अंतरिक्ष यात्रा और अनुभवों से भारत के 2027 में गगनयान मिशन, 2035 तक अपने अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की महत्वाकांक्षी योजनाओं को व्यापक विस्तार मिला है।



इसरो को व्यापक बनाती शुभांशु की सफल वापसी

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लगभग 18 दिन रहने के बाद एक्सओम-4 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करके शुभांशु 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए हैं। अंतरिक्ष से लौटने के बाद शुभांशु वर्तमान में ह्यूस्टन में 23 जुलाई तक उड़ान-पश्चात पुनर्वास अर्थात् पोस्ट-फ्लाइट रिहैबिलिटेशन में रह रहे हैं। इन 18 दिनों के अंतरिक्ष प्रवास के दौरान शुभांशु ने पृथ्वी की 310 से अधिक बार प्रदक्षिणा करते हुए लगभग 1.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहते हुए शुभांशु ने एक्सओम-4 क्रू और अभियान 73 के सदस्यों के साथ मिलकर 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोगों में भाग लिया। इनमें भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों और शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए सात प्रयोग शामिल थे। अंतरराष्ट्रीय आनुवंशिक इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र तथा राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान के एक प्रयोग में शुभांशु ने तीन सूक्ष्मशैवाल प्रजातियों को अंतरिक्ष में उगाकर उनकी वृद्धि, चयापचय और आनुवंशिक परिवर्तनों के अध्ययन किए। प्रकाश संश्लेषक जीव होने के नाते सूक्ष्म शैवाल अंतरिक्ष में जीवन रक्षक प्रणालियों के लिए एक आदर्श विकल्प हैं। इस प्रयोग का उद्देश्य अंतरिक्ष में स्थायी खाद्य और ऑक्सीजन उत्पादन प्रणालियों को विकसित

करना एवं भावी गगनयान जैसे मिशनों में जैव-पुनर्जननकर्ता के रूप में सूक्ष्म शैवाल के उपयोग की सम्भावना का पता लगाना था। भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूरु के प्रयोग का सफल अध्ययन करते हुए शुभांशु ने कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने की अत्यधिक क्षमता रखने वाले सूक्ष्मजीव टार्डिग्रेड्स की भारतीय प्रजाति यूटार्डिग्रेड पैरामैक्रोबायोटस की अंतरिक्ष में वृद्धि, जीवन क्षमता, पुनर्जीविता, प्रजनन, ट्रांसक्रिप्टोम और उस पर अंतरिक्ष यात्रा के प्रभाव के परीक्षण किए।

स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान (डीबीटी-इनस्टेम), बेंगलुरु के मायोजेनेसिस पर आधारित प्रयोग को करते हुए शुभांशु ने परीक्षण किया कि अंतरिक्ष में रहने से मनुष्यों में मांसपेशियों की ऊतकीय वृद्धि और विकास किस तरह प्रभावित होकर उनका क्षय होता है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर लाइफ साइसेज ग्लवबॉक्स में स्टेम सेल पर एक अन्य प्रयोग भी सफलतापूर्वक सम्पादित करते हुए उन्होंने

ट्रिपल-नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर की कोशिकाओं का अंतरिक्ष में परीक्षण किया। यह देखा गया कि अंतरिक्ष में इन कोशिकाओं की वृद्धि तीव्र होने के साथ ही दवाओं के प्रति इनकी प्रतिक्रिया पृथक होती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि अंतरिक्ष



डॉ. शुभ्रता मिश्रा

में माइक्रोग्रेविटी में स्टेम सेल कैसे व्यवहार करते हैं और क्या कुछ विशेष पोषक तत्वों का उपयोग करके उन्हें कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। धारवाड़ स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए मूंग और मेथी के बीजों को शुभांशु ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पेट्री डिश में अंकुरित करवाकर उन्हें एक फ्रीजर में संग्रहित किया। इन बीजों से उगे पौधों को धरती पर भी कई चक्रों में आगे उगाया जाएगा यानी उनसे निकले बीजों को अंकुरित कर नए पौधे तैयार किए जाएंगे। ये देखा जाएगा कि उन बीजों की आनुवांशिकी और सूक्ष्मजीवीय भार पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह जानना था कि क्या अंतरिक्ष में पौधे उगाए जा सकते हैं, जो भावी दीर्घकालिक मिशनों में अंतरिक्ष यात्रियों की भोजन के काम आ सकें।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के तीन प्रयोग भी अंतरिक्ष में शुभांशु ने सफलतापूर्वक किए। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले पहले जीव माने जाने वाले जलीय-प्रकाश संश्लेषक सायनोबैक्टीरिया की दो प्रजातियों पर किए एक प्रयोग में उन्होंने इन पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव

तथा उनकी जैव रसायनिक प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन के परीक्षण किए। सायनोबैक्टीरिया की तीव्र वृद्धि और कार्बन एवं नाइट्रोजन को कुशलतापूर्वक पुनर्चक्रित करने की उनकी क्षमता को देखते हुए शुभांशु ने जांच की कि क्या ये प्रजातियां अंतरिक्ष यान पुनर्चक्रण प्रणालियों का भाग हो सकती हैं। दूसरे प्रयोग इसरो वांयेंजर डिस्प्ले नामक अध्ययन के अंतर्गत शुभांशु ने आंखों की गतिशीलता और उनकी एक वस्तु पर फोकस करने की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी की परिस्थितियों में कम्प्यूटर स्क्रीन का आंखों और मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण किया।

अंतरिक्ष यात्रियों को वहां कम्प्यूटर स्क्रीन का बहुत उपयोग करना होता है, जिससे उनके अंदर तनाव भी बढ़ता है। इस प्रयोग के निष्कर्ष अंतरिक्ष यान पर कम्प्यूटर और अन्य उपकरणों के डिजाइन को प्रभावित करेंगे क्योंकि इनसे यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये कितना तनाव पैदा करते हैं। इसरो के ही तीसरे प्रयोग में सतही तनाव का उपयोग करते हुए शुभांशु ने एक तैरता हुआ जल का बुलबुला बनाकर बताया कि कैसे जीरो ग्रेविटी में आने के बाद भौतिकी के सिद्धांत बदल जाते हैं।

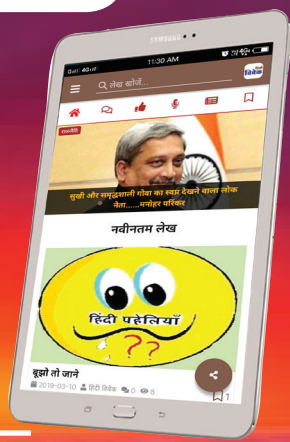
● ● ●



हिंदी विवेक अब वेबसाइट और मोबाइल एप पर भी उपलब्ध

Website : www.hindivivek.org

गूगल प्ले पर एप - 

हिंदी विवेक

WE WORK FOR A BETTER WORLD

प्लॉट नम्बर ७-८, आरएससी रोड नम्बर-१०, सेक्टर-२, श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई- ४०००६७. दूरभाष : ०२२-२८७० ३६४०/२८७० ३६४१, मोबा. ७०४५७८१६८६, E-mail : hindivivekvargani@gmail.com

समाप्ति की ओर
ले जा रहे...!

कानून

महाराष्ट्र में जनसुरक्षा बिल पारित



डॉ. सुरेंद्र कुमार मिश्र

आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और तेलंगाना के बाद अब महाराष्ट्र में भी जन सुरक्षा बिल पारित किया गया। इस कानून के लागू हो जाने से उग्रवादी, अलगाववादी तथा आतंकवादी विचारधारा को बढ़ाने वाले संगठनों पर अंकुश लगाया जा सकता है।

आवश्यक थी। मुख्य मंत्री फडणवीस के अनुसार यह कोई नया कानून नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और तेलंगाना आदि राज्यों में यह कानून पहले से ही है। महाराष्ट्र राज्य में वामपंथी उग्रवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में अभी तक अपने राज्य की पुलिस को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अतः इसी कारण यह कानून बनाया गया है। स्मरणीय रहे कि एक लम्बी अवधि तक महाराष्ट्र के पांच जिलों में नक्सली/माओवादियों का प्रभाव रहा, किंतु सरकार के द्वारा लगाम लगाने के कारण अब दो जिले तक यह समस्या सिमट

कर रह गई है।

भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता की घोषणा कर चुके हैं। इसी के अंतर्गत केंद्र सरकार नक्सल माओवाद मुक्त भारत की दिशा में आक्रामक रूप से कार्य कर रही है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी नागरिक को इसके कारण अपनी जान न गंवानी पड़े।

अब आवश्यकता इस बात की है कि आखिर जन सुरक्षा बिल की विशेष बातें क्या हैं जो इसको महत्वपूर्ण बना रही हैं -

- * यह कानून आंतरिक सुरक्षा समस्या में सहायक सिद्ध हो सकेगा।
 - * राष्ट्रीय सुरक्षा को स्थिति में संकट पैदा करने वाले व्यक्ति या संगठन को तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है।
 - * इसके अंतर्गत आरोपी व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकेगी।
 - * आंतरिक व बाह्य सुरक्षा में संलिप्त होने पर व्यक्ति या संगठन के बैंक अकाउंट को भी प्रतिबंधित या फ्रीज किया जा सकता है।
 - * कानून के अंतर्गत पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर और उसके ऊपर के सभी अधिकारी इसकी जांच कर सकेंगे।
- वास्तव में यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा व आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील एवं सामयिक सशक्त कदम है। निःसंदेह जहां जनसंख्या का बदलता स्वरूप खतरे की घंटी बजा रहा है, वहां राज्य व राष्ट्र विरोधी शक्तियों को रोकना अब बहुत आवश्यक हो गया है। यद्यपि यह कानून अनेक राज्यों में बना हुआ है, परंतु आंतरिक सुरक्षा पर सचेत रहने के लिए यह कानून अधिक प्रभावी सिद्ध होगा, किंतु वास्तव में इसकी सफलता सही क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

जेलों में इस्लामिक कट्टरता का बढ़ता संकट



भारतीय जेलों में इस्लामिक कट्टरता और अलगाववाद का बढ़ना एक गम्भीर संकेत है कि कहीं न कहीं हमारी जेल व्यवस्था में कई कमियाँ हैं। यह समस्या केवल कानून व्यवस्था की नहीं बल्कि सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय सुरक्षा की है।

चुनौती



डॉ. शशांक द्विवेदी

गृह मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट ने देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गम्भीर चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जेलों में इस्लामिक कट्टरता और अलगाववादी विचारधारा तेजी से पनप रही है। यह केवल जेल व्यवस्था की विफलता नहीं है बल्कि एक गहरे सामाजिक और राष्ट्रीय संकट की ओर संकेत करता है।

जेल: सुधारगृह या उग्रवाद की पाठशाला?

भारतीय संविधान और आपराधिक न्याय प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि अपराधी को सजा देना ही उद्देश्य नहीं बल्कि उसके पुनर्वास और सुधार की प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए जेलों को अधिकतर सुधारगृह कहा जाता है, किंतु जब यही सुधारगृह ऐसे स्थान बन जाएं जहां कट्टरपंथ, जिहादी विचारधारा और अलगाववादी मानसिकता पनपे, तो यह सोचने का समय है कि कहीं हमारी प्रणाली अपराध को सुधारने की बजाय उसे और भयानक तो नहीं बना रही?

कट्टरता के पीछे के कारण

समान विचारधारा वाले कैदियों का आपसी सम्पर्क

जेलों में एक ही विचारधारा के लोगों के एक साथ रहने से एक 'कट्टरता का समूह' बन जाता है। ये समूह नए कैदियों को अपने विचारों से प्रभावित करते हैं।

सोशल मीडिया और बाहरी सम्पर्क

कई बार जेल में प्रतिबंधित मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से ये कैदी कट्टरपंथी संगठनों के सम्पर्क में रहते हैं और वैश्विक जिहादी आंदोलनों से प्रभावित होते हैं।

अलगाव और भेदभाव की भावना

कुछ बंदी यह अनुभव करते हैं कि उन्हें धर्म या समुदाय के आधार पर निशाना बनाया गया है, जिससे उनमें असंतोष और अलगाववाद की भावना जन्म लेती है। यही भावना धीरे-धीरे उग्र रूप ले सकती है।

आतंकवादियों की जेल में विशेष स्थिति

कई जेलों में यह देखा गया है कि आतंकवाद के मामलों में बंद कैदी जेल प्रशासन पर दबाव बनाकर विशेष सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं और अन्य कैदियों पर भी प्रभाव डालते हैं।

कुछ प्रमुख उदाहरण

दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों की जेलों में कई मामलों में यह सामने आया है कि आतंकवाद के आरोप में बंद कैदियों ने अन्य मुस्लिम कैदियों को कट्टरपंथ की ओर उकसाया। जम्मू-कश्मीर की जेलों में कई अलगाववादी नेताओं और आतंकियों को एक साथ रखने से उनके बीच 'नेटवर्किंग' और जेल से बाहर के आतंकी संगठनों के साथ सम्पर्क बना रहा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कुछ आतंकवादियों के पास मोबाइल फोन मिलने की घटनाएं सामने आईं, कर्नाटक की एक जेल में यह बात उजागर हुई कि सिमी और आईएसआईएस से जुड़े कैदी अन्य बंदियों को धार्मिक चरमपंथ की ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे थे। जेल से छूटने के बाद, ये कैदी कट्टरपंथी संगठनों के

लिए पूरी तरह प्रशिक्षित और तैयार होते हैं। वे समाज के भीतर रहकर गुप्त रूप से गतिविधियां चला सकते हैं। जेल में कट्टरपंथी मानसिकता लेकर बाहर आने वाले लोग अपने मोहल्लों, गांवों या शहरों में विष फैलाने का काम कर सकते हैं।

जेल प्रशासन की चुनौतियां

कैदियों की निगरानी की कमी

एक जेल में हजारों कैदियों की निगरानी करना आसान नहीं होता। संसाधनों की कमी और कर्मचारियों की संख्या में भारी अंतर जेल प्रशासन को कमजोर बनाता है।

इंटेलिजेंस का अभाव

कई बार जेलों में कैदियों की गतिविधियों की गहराई से जानकारी नहीं मिलती, जिससे कट्टरपंथी गतिविधियां पकड़ी नहीं जातीं।

प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप

कुछ मामलों में जेलों में धार्मिक या समुदाय विशेष के प्रति नरमी दिखाना राजनीतिक दबाव के चलते हो सकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव

यदि जेलों में ही कट्टरता की जड़ें मजबूत होती रहीं, तो बाहर आकर ये कैदी समाज के लिए बड़ा संकट बन सकते हैं।

समाधान की दिशा में आवश्यक कदम

उच्च जोखिम वाले कैदियों के लिए अलग वार्ड ऐसे कैदियों को सामान्य कैदियों से अलग रखा जाना चाहिए ताकि उनका प्रभाव दूसरों पर न पड़े।

डि-रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम

जेलों में कैदियों के लिए विशेष काउंसलिंग, धार्मिक शिक्षकों द्वारा संतुलित विचारधारा का प्रसार और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता से कट्टरपंथ को रोका जा सकता है।

साइबर निगरानी और तकनीकी सहायता

जेलों में मोबाइल फोन, इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकने के लिए जैमर और निगरानी तकनीकों का प्रयोग अनिवार्य होना चाहिए।

स्टाफ की ट्रेनिंग

जेल कर्मचारियों को कट्टरता पहचानने, उससे निपटने और मानसिक समर्थन देने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

खुफिया एजेंसियों की नियमित रिपोर्टिंग

राज्य और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को जेलों में कट्टरपंथ पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से कार्य करना चाहिए।



राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए मौलिक एवं संग्रहणीय पुस्तक



पद्मश्री रमेश पतंगे लिखित
'हिंदी विवेक' द्वारा प्रकाशित

हम संघ में क्यों हैं...

संघ विचारों की मूल प्रेरणा, संघकार्य को समझने की प्रक्रिया और इन सभी से संघ स्वयंसेवकों को अनायास मिलनेवाले राष्ट्रबोध और कर्तव्यबोध का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है।

हिंदी
विवेक
"We Work For A Better World"

पंजीयन करें

पुस्तक का मूल्य

₹250/-



UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड स्कैन करें और पेमेंट वाक्स में अपना नाम, पता व सम्पर्क नंबर दर्ज करें।

Draft or Cheque should be drawn in the name of

HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank Details : State Bank of India, Branch - Charkop, A/C No. : 00000043884034193, IFSC Code : SBIN0011694

ग्रंथ पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

प्रशांत : 9594961855, संदीप : 9082898483, भोला : 9702203252, कार्यालय : 9594991884

उत्तराखंड की सरकार ने टोंगी व नकली साधु बनकर हिंदू धर्म के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले इन बाबाओं के विरुद्ध 'कालनेमि अभियान' छेड़ रखा है। ऐसे राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही बाबाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की भी बात उत्तराखंड में मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है।



मृत्युंजय दीक्षित

छद्मी बाबाओं से बचाएगा 'कालनेमि अभियान'

भारत का आज हर प्रदेश और हर जिले में हिंदू बालिकाओं के अपहरण, दुष्कर्म और बलपूर्वक धर्मांतरण के समाचार आम हो चुके हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब दो-तीन समाचार बालिकाओं के उत्पीड़न के न आते हों।

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से पकड़ा गया जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा गैंग की जड़े भारत के विभिन्न राज्यों के 579 जिलों के साथ ही नेपाल, पाकिस्तान से लेकर सऊदी तक फैली है। रिपोर्ट के अनुसार उसके रैकेट में 3000 सक्रिय गुर्गे हैं जो अलग-अलग जिलों में रहकर मतांतरण का कार्य करवा रहे हैं। इस कार्य के लिए उसे विदेशों से करोड़ों का धन प्राप्त हो रहा है। यह धनराशि उसके द्वारा चलाए जा रहे चैरिटी ट्रस्ट, व्यावसायिक संस्थान तथा अन्य अनैतिक माध्यमों से मिल रही है। उसके विरुद्ध साक्ष्य देने वालों तथा हिंदू धर्म में पुनः वापसी करने वालों को छांगुर गिरोह के सदस्य लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

छांगुर का अपराध साम्राज्य एक दिन में खड़ा नहीं हुआ है। पूर्व बसपा-सपा सरकार में अपराधियों विशेषकर धर्म विशेष के माफियाओं के संरक्षण और पंगु प्रशासन ने छांगुर बाबा जैसे अनेक अपराधियों को फलने-फूलने का अवसर दिया है। सरकारी भूमि पर बने उसके आलीशान भवन, उसके अनैतिक आर्थिक क्रियाकलाप उसके अपराधों में सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता को उजागर कर रहे हैं। ऐसे राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही सरकारी कर्मचारियों की पहचानकर उन्हें भी कठोरतम दंड दिया ही जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि योगी मुख्य मंत्री हैं। अपराधों के प्रति उनकी जीरो टॉलरेंस नीति और उनके कठोर प्रशासन में छांगुर गैंग पर कार्रवाई हो रही है और पूरी आशा है कि इन मानवता विरोधी अपराधियों

को कठोरतम दंड मिलेगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

श्रावण मास प्रारम्भ होते ही शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में मुख्य मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सनातन धर्म और देवभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए नकली साधु बनकर हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले बाबाओं के विरुद्ध 'कालनेमि अभियान' छेड़ रखा है। अभी तक 1200 से अधिक फर्जी बाबा पकड़े जा चुके हैं। इन पकड़े गए लोगों में मुसलमान, बांग्लादेशी और रोहिंया घुसपैठियों के साथ ही अनेक गम्भीर अपराधी भी शामिल हैं। ये विभिन्न अपराधों में पकड़े जाने के बाद जमानत पर छूटे हैं और वेष बदलकर साधु बनकर धर्मप्राण सनातनियों को ठगने तथा धर्म को अपमानित करने में लगे हैं। कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होकर ये उनको प्राप्त होने वाली सेवाओं का लाभ तो उठाते ही हैं, साथ ही अनुचित व्यवहारों से कांवड़ियों को भी बदनाम करते हैं। 'कालनेमि अभियान' के अंतर्गत बड़ी संख्या में अवैध रूप से वहां रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंयाओं का पकड़ा जाना उस सच्चाई को सामने लाता है जिसमें करोड़ों अवैध बांग्लादेशी और रोहिंया घुसपैठियों के देश में होने का दावा किया जाता है।

नाबालिग बच्चियों का अपहरण, उनका मतांतरण, उनका उत्पीड़न, उनको धमकाना और जबरन निकाह केवल हिंदू धर्म के विरुद्ध अपराध नहीं है वरन छांगुर का अपराध मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध है। मानवता के विरुद्ध अपराध करने वाले जलालुद्दीन छांगुर और उसके सहयोगियों तथा नकली साधुओं के वेष में छिपे अपराधियों पर कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए।



50⁺
YEARS OF
MOMENTUM

अर्थ
सहकारेण
कल्याणम्



दि कल्याण जनता
सहकारी बँक लि.
मल्टी-स्टेट शेड्युल्ड बँक

आपले घरकुलाचे स्वप्न साकार करा आमच्या सोबतीने

गृह कर्ज

व्याजदर:
८० लाखांपर्यंत - ८.२०%*

किमान प्रक्रिया शल्क व जलद प्रोसेसिंग *



अटी व शर्ती लागू

TOLL FREE: 1800 233 1919 | kalyanjanata.in | [f](https://www.facebook.com/KJSBank) [X](https://www.x.com/KJSBank) KJSBank

किशोरों की हिंसक मनोवृत्ति चिंतनीय

मानसिकता

किशोरों की मनोवृत्ति इतनी हिंसक होती जा रही है, जो समाज के लिए एक चिंतनीय विषय है। आखिर क्या कारण है कि एक मामूली सी बात को लेकर वो जान के प्यासे हो जाते हैं।

सहज ही बातों व परिस्थितियों को लेकर किशोर मन में पैठ बनाती रंजित समग्र समाज के लिए चिंतनीय हो चली है। हाल ही में हरियाणा में हिसार के एक स्कूल के ही 2 छात्रों ने प्रिंसिपल की चाकू मारकर हत्या कर दी। कक्षा 11वीं और 12वीं के दोनों छात्रों ने बाल कटवाने, सही ढंग से यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आने और अनुशासन में रहने के लिए कहे जाने से नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया। बीते दिनों हिसार में ही एक 14 वर्षीय किशोर ने अपने सहपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या का कारण स्कूल में बच्चों के बीच बेंच पर बैठने से जुड़ा विवाद भर था। जान ले लेने जैसे दुस्साहसी कृत्यों के अलावा अपहरण, ब्लैकमेलिंग, चोरी, साइबर स्कैम और हमउम्र लड़कियों के शारीरिक शोषण के मामलों में भी किशोरों की संलिप्तता बढ़ती जा रही है। ऐसी आपराधिक घटनाएं चौंकाती ही नहीं चेतावनी भी देती हैं। विशेषकर पालन-पोषण के मोर्चे पर सजगता बरतने और बालमन में संवेदनाओं को पोसने और पल्लवित की आवश्यकताओं को रेखांकित करती हैं।

दिशाहीनता के कारण समझिए

टीनएज बच्चों की भ्रमित-हिंसक होती सोच को अभिभावक ही सही दिशा दे सकते हैं। सबसे पहले तो माता-पिता को बच्चों की हिंसक होती मनोवृत्ति के कारण समझने होंगे। असल में वर्चुअल दुनिया में गुम नई पीढ़ी एक नकली स्टारडम के घेरे में हैं। अजब-गजब हरकतों वाली रील्स खंगालते किशोरों को आपराधिक घटनाएं भी वीडियो या रील सी ही लगने लगी हैं। साथ ही एकल परिवारों में बात-बात में होती मनुहार से बच्चों में ना तो सहनशीलता बची है और ना ही ठहराव। ओटीटी प्लेटफॉर्म के अभद्र और हिंसक कंटेंट ने भी हर मोर्चे पर नकारात्मक भावनाओं को

खाद-पानी दिया है।

जिंदगी वर्चुअल कंटेंट भर नहीं

वर्चुअल और असल दुनिया के अजब-गजब रंगों में खोए टीनेजर्स स्वयं भी भटकाव-बिखराव के शिकार हैं। मन में पलते द्वेष, बदला लेने की प्रवृत्ति और अपराध कर बैठने के दुस्साहस को पेरेंट्स समय रहते समझें। टीनएज बच्चों को वास्तविक जिंदगी से मिलवाएं। नई पीढ़ी को गम्भीरता से समझाएं कि जिंदगी वर्चुअल कंटेंट भर नहीं है। हालिया घटना में प्रधानाध्यापक की हत्या के बाद किशोरों ने एक वीडियो जारी कर कहा कि प्रिंसिपल का काम तमाम कर दिया है, अब बालक की बारी है।

कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में देर से स्कूल आने पर डांटने भर से प्रधानाचार्य को गोली मारने वाला छात्र सीसीटीवी फुटेज में नाचते हुए दिखता है। एकदम फिल्मी हाव-भाव में यह कहते हुए वहां से जाता दिखता है कि मैं खलनायक हूं। इससे स्पष्ट है कि भयावह आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद वीडियो बनाना या फिल्मी धुन में गुनगुना अवास्तविक होती जा रही मनःस्थिति को ही सामने रखता है। 25.3 करोड़ किशोरों की जनसंख्या वाले हमारे देश में हर पांचवें व्यक्ति की आयु 10 से 19 वर्ष के बीच है। नई पीढ़ी के इन नागरिकों के लिए सही जीवनशैली और संस्कारी सोच का परिवेश बनाने का काम अभिभावकों के हिस्से ही है। शिक्षकों का सम्मान करने की सीख हो या सहपाठियों से तालमेल बनाने का सबक। तकनीकी विकास और बिखरती संवेदनाओं के इस दौर में परम्परागत जीवन मूल्य किशोरवय बच्चों के बदलते मनोविज्ञान और दिशाहीन विचारों को सही दिशा दे सकते हैं। सम्बल और मार्गदर्शन देते हुए धरातल से जुड़ी जीवनशैली के रंग-ढंग अभिभावक नई पीढ़ी तक पहुंचाएं।



डॉ. मोनिका शर्मा



प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल के युद्ध में बलिदान हुए वीर सैनिकों व उन वीर योद्धाओं की भी नमन किया जाता है, जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपना वीरता पूर्वक योगदान दिया।

जिहादी के भेष में पाकिस्तानी सैनिक



रंजीत कुमार

कारगिल का नाम आते ही तोलोलिंग, टाइगर हिल, प्वाइंट -4875 जैसी दुर्गम पर्वत चोटियों के नाम याद आने लगते हैं। लगभग 26 वर्ष पहले इन चोटियों पर कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तानी सैन्य घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा, ग्रिनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, स्कूडन लीडर अजय आहूजा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, मेजर राजेश सिंह अधिकारी, राइफलमैन संजय कुमार, नायक दिगेंद्र कुमार जैसे 500 से अधिक वीर बलिदानियों के नाम याद कर रोंगटे खड़े होने लगते हैं। इन सैनिकों ने जान हथेली पर रखकर पाकिस्तानी सैन्य घुसपैठियों को वहीं मिट्टी में मिला दिया या खदेड़ भगाया।

पाकिस्तानी सेना के तत्कालीन प्रमुख जनरल परवेज मुशरफ ने अपने सैनिकों को जेहादियों के भेष में कारगिल की चोटियों पर कब्जा करने के लिए भेजा ताकि दुनिया से यह कह सकें कि जम्मू-कश्मीर को भारत से स्वतंत्र कराने के लिए कश्मीरी जेहादी लोगों ने यह कार्रवाई की है। ये जिहादी जिन्हें भारत में आतंकवादी कहा जाता है, सैनिकों ने वर्दी नहीं पहने थे ताकि उनकी असली पहचान दुनिया को पता नहीं चले, परंतु पाकिस्तानी सेना इतनी कायर निकली कि इन मारे गए सैनिकों के शव लेने से भी मना कर दिया ताकि जिहादी-आतंकवादी के भेष में भारत के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने का भेद न खुल जाए। पाकिस्तानी सेना द्वारा अपने सैनिकों के शव लेने से मना करने पर भारतीय सेना ने कारगिल के क्षेत्र में ही पूर्ण मजहबी व सैन्य सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार करने को मजबूर होना पड़ा।

तत्कालीन प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के सामने पाकिस्तानी सेना के असली मंसूबे उजागर किए। उन्होंने विश्व समुदाय को बताया कि भारतीय सेना केवल अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए जवाबी सैन्य कार्रवाई कर रही है। ग्रेट हिमालय और जांस्कार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित कारगिल का बर्फीला पर्वतीय क्षेत्र दुनिया के सबसे ठंडे क्षेत्रों में माने जाते हैं, जहां

की द्रास घाटी में तापमान जाड़ों में 60 डिग्री सें. के नीचे चला जाता है। इन्हीं दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र की पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से लगी नियंत्रण रेखा की चौकसी कर रहे भारतीय जवान सर्दी के दिनों में नीचे उतर आते थे। इसी को ध्यान में रखकर पाकिस्तानी सेना ने यह षडयंत्र रचा था कि जब यह क्षेत्र भारतीय सेना सर्दी में छोड़ दे तो इसी दौरान पाकिस्तानी सेना इन पर कब्जा कर लेगी और वहां अपने जवान बैठा देंगे। पाकिस्तानी सेना वहां फरवरी माह से ही जमने लगी थी। मई के शुरु में इस बात का पता चला तो भारतीय सेना को भी यह लगा कि वहां कुछ आतंकवादी घुसपैठ कर चुके हैं जिन्हें मार भगाया जाएगा, पर यह कार्य इतना आसान नहीं था। जेहादी-आतंकवादियों के भेष में पाकिस्तानी सेना वहां कब्जा जमा कर आधुनिक तोपों, मशीनगनों के साथ डेरा जमा चुकी थी, जिन्हें खदेड़ने के लिए भारतीय सेना को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी।

पाकिस्तानी सैनिकों से कारगिल का क्षेत्र खाली करवाने के लिए भारतीय सेना ने बोफोर्स तोपों का प्रयोग किया तो वायुसेना ने मिराज-2000 जैसे संहारक लड़ाकू विमानों को भेजा और अंततः भारतीय सेना के वीर सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल की चोटियां खाली करने पर मजबूर किया। पाकिस्तानी करतूत उजागर होने पर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री नवाज शरीफ को वाशिंगटन बुलाया और भारतीय क्षेत्रों से अपने सैनिकों को पीछे हटाने के लिए कहा। अंततः 26 जुलाई, 1999 को पाकिस्तानी सेना ने अपने सभी बचे हुए सैनिकों से आत्मसमर्पण कर लौटने को कहा। पाकिस्तान को नाको चने चबाने के पीछे उन वीर भारतीय युवा सैनिक अधिकारियों और जवानों के बलिदान को प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को याद करने के लिए ही कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।



निमिषा प्रिया को फांसी या माफी!

विचारणीय

निमिषा प्रिया की फांसी की सजा फिलहाल रोक दी गई है। उनको फांसी होगी या माफी, इस पर निर्णय आना बाकी है। उनकी जिंदगी अब उस 'ब्लड मनी' समझौते पर निर्भर है, जो तलाल के परिजनों की सहमति के बिना सम्भव नहीं है।

यमन में नर्स निमिषा प्रिया को फांसी होगी या सजा से राहत मिलेगी? इस विषय पर भारत की भूमिका और आगे की रणनीति क्या होगी, यह आज हर भारतीयों के मन में प्रश्न है, विशेषकर जो खाड़ी देशों में काम करते हैं।

भारतीय नर्स निमिषा प्रिया का मामला आज एक अंतरराष्ट्रीय मानवीय और कूटनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। ज्ञात हो कि यमन में एक हत्या के मामले में दोषी निमिषा प्रिया को स्थानीय न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई है। हालांकि अब इस सजा के क्रियान्वयन को लेकर कई मानवीय, कानूनी और कूटनीतिक पहलुओं पर चर्चा हो रही है। प्रश्न यह उठता है कि क्या निमिषा को फांसी दी जाएगी या कोई राहत की सम्भावना है? और इसमें भारत की भूमिका क्या हो सकती है?

निमिषा प्रिया केरल की एक प्रशिक्षित नर्स है जो काम के सिलसिले में यमन गई थी। वहां उन्होंने एक मेडिकल क्लिनिक खोला और यमन कानून के अनुसार उन्हें एक स्थानीय पार्टनर तलाल अब्दुल मेहदी को अपना साझेदार बनाना पड़ा। तलाल ने उनका पैसा और पासपोर्ट चुरा लिया और उन्हें परेशान करने लगा। आरोप है कि तलाल ने उनके साथ शारीरिक व मानसिक अत्याचार किया, उनका पासपोर्ट जब्त किया और उन्हें देश छोड़ने से रोका। इन प्रताड़नाओं से मुक्ति पाने के लिए निमिषा ने कथित रूप से तलाल को बेहोश करने का प्रयास किया, परंतु उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। यमन के न्यायालय ने इसे हत्या मानते हुए उन्हें दोषी ठहराया और मृत्युदंड की सजा सुनाई।

इस सजा से बचने के लिए यमन की शरिया आधारित न्याय प्रणाली के अंतर्गत ब्लड मनी (दिया) का प्रावधान एक रास्ता है, जिसके

अंतर्गत मृतक के परिजनों से सहमति प्राप्त कर आर्थिक क्षतिपूर्ति देकर मौत की सजा को माफ कराया जा सकता है। यह एक मान्य और कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें आरोपी पक्ष को मृतक के परिजनों से सीधी बातचीत करनी होती है। इस प्रावधान के अंतर्गत इस बात पर चर्चा है कि क्या इससे बच सकती हैं निमिषा? इस मामले में कुछ सामाजिक संगठनों और एनजीओ ने 'सेव निमिषा प्रिया' अभियान चलाया है। साथ ही भारत सरकार की ओर से भी प्रयास हो रहे हैं। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि वे दया के आधार पर निमिषा की जान बचाने के लिए यमन सरकार से लगातार सम्पर्क में हैं। फिलहाल फांसी केवल टली है, माफी नहीं मिली है। बातचीत जारी है ताकि ब्लड मनी या कानूनी रास्ते से निमिषा की सजा माफ हो सके। ये भारत और यमन के धार्मिक नेताओं के हस्तक्षेप के बाद सम्भव हो सका है। भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि यह काम लगातार प्रयासों का परिणाम है, परंतु मुख्य चुनौती अभी भी यह है कि तलाल के परिवार की सहमति सजा माफी के लिए ली जाए और 'ब्लड मनी' के लिए बातचीत की जाए।

भारत सरकार के सामने यह मामला सिर्फ एक नागरिक को बचाने का नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर मानवीय मूल्यों के साथ-साथ अन्याय, गलत सजा होने पर अपने नागरिकों के साथ खड़ा होने की अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने का भी अवसर है। भारत को चाहिए कि वह यमन सरकार के साथ उच्चस्तरीय कूटनीतिक सम्पर्क बनाए। इसके अलावा भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विदेशों में कार्यरत भारतीय महिलाएं और श्रमिक सुरक्षित रहें और कानूनी सहायता हेतु हर देश में भारतीय दूतावास सक्रिय भूमिका निभाएं।



पंकज जायसवाल

**हिंदी
विवेक**
" We Work For A Better World"



" We Work For A Better World"



- वार्षिक मूल्य : रु. 500/-
- त्रैवार्षिक मूल्य : रु. 1,200/-
- पंचवार्षिक मूल्य : रु. 1,800/-
- संरक्षक मूल्य : रु. 20,000/-
- विदेशी सदस्यता शुल्क वार्षिक : रु. 5,000/-

**खुद
ग्राहक बनें
व बनाएं**

- जन्म दिन तथा अन्य समारोहों में हिंदी विवेक उपहार के रूप में भेंट करें।
- मित्रों, रिश्तेदारों तथा शुभचिंतकों को हिंदी विवेक की सदस्यता प्रदान करें।
- अपने दिवंगत स्नेहीजनों की स्मृति में 11, 21, 51 या 101 पाठकों को सदस्यता दें।
- विवाह के अवसर पर सदस्यता उपहार में दें।
- नववर्ष की शुभकामना के रूप में ग्रीटिंग कार्ड के स्थान पर हिंदी विवेक का सदस्यता रसीद प्रदान करें।



हिंदी विवेक कार्यालय

प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर 10, सेक्टर - 2, श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे,
हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई - 400067

सम्पर्क : +91 95949 91884

hindivivekvargani@gmail.com / hindivivekadvt@gmail.com

मन में कुछ करने की लगन हो तो समय, परिस्थिति व आयु बाधक नहीं बनती है। तमिलनाडु के तीन बुजुर्ग, जिनकी आयु ६०, ६७ एवं ६८ वर्ष है, इन्होंने नीट की परीक्षा पास की है। यह उन युवाओं के लिए भी एक सीख है, जो असफलताओं से निराश होकर आत्मघाती कदम उठाने की सोचते हैं।



डॉ. हिमांशु थपलियाल

एक प्रसिद्ध कविता की पंक्ति है,

जिसमें कहा गया है कि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन पंक्तियों को चरितार्थ करने वाला

एक समाचार सामने आया है। कर्नाटक के तीन बुजुर्गों ने दुनिया को तब चौंका दिया जब उन्होंने चिकित्सक बनने की इच्छा से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली कठिन नीट की परीक्षा को पास कर लिया और प्रवेश के लिए आवेदन कर दिया। इन तीनों की आयु 60, 67 एवं 68 वर्ष है और बताया जा रहा है कि इनमें से दो पेशे से वकील भी हैं।

आज के कठिन प्रतिस्पर्धा के दौर में जहां दिन-रात मेहनत करने वाले बच्चे भी अपनी सफलता को लेकर सुनिश्चित नहीं होते, जिस कारण कई बार छोटी-छोटी असफलताओं या कठिनाइयों के कारण या तो अपना प्रयास छोड़ देते हैं या फिर अवसाद में चले जाते हैं। कई बार तो परिणामों के दबाव में कुछ बच्चे आत्मघाती कदम भी उठा लेते हैं। ऐसे दौर में इस तरह का

आयु तो बस एक संख्या है

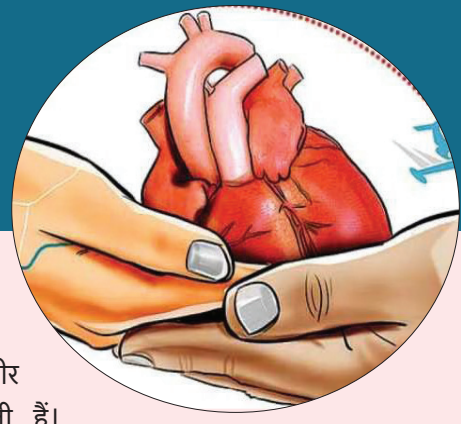
समाचार आना अपने आप में एक अच्छा उदाहरण है। यह घटना समाज को इस दिशा में प्रेरित करती है कि यदि व्यक्ति के भीतर कुछ करने की लालसा हो तो आयु बाधक नहीं होती बल्कि उसकी आयु के अनुभव उसे और बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सहायता करते हैं। एक और विचार को इस प्रसंग से बल मिलता है कि आयु तो केवल एक संख्या है, वास्तव में व्यक्ति की इच्छा शक्ति है जो उसे कुछ भी करने में सक्षम बनाती है।

आज विश्व के अनेक देश अपनी अधिक औसत आयु के कारण अधिकांश चिंता व्यक्त करते हैं कि आने वाले समय में उनका युवा बल कम होता जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके देश के मानव संसाधन का उचित विकास नहीं हो पाएगा। यह विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक निश्चित आयु के बाद व्यक्ति की कार्यक्षमताएं कम हो जाती हैं, परंतु तमिलनाडु का यह मामला अपने आप में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां पर 60 वर्ष पूर्ण कर चुके बुजुर्गों के द्वारा अत्यधिक मेहनत करने वाले युवाओं को प्रतियोगितात्मक परीक्षा में पीछे छोड़कर सफलता प्राप्त की गई।

इसलिए अब युवाओं को ही नहीं बल्कि प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्ति या महिला को यह समझ लेना चाहिए कि यदि उसे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने की उत्कंठा है तो वह किसी भी आयु में उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आयु का कोई भी विशेष बंधन नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए यदि किसी चीज की आवश्यकता है, तो वह है इच्छा शक्ति के साथ कुछ करने का उमंग और उत्साह की। यदि उत्साह है और साहस है तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है तथापि आयु तो केवल एक संख्या है। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए और भूल जाइए कि आपकी आयु क्या है क्योंकि यह महत्व नहीं रखता कि अभी आप कहां हैं, सही अर्थ तो यह रखता है कि आपको जाना कहां है। लक्ष्य केंद्रित प्रयास करने पर सफलता निश्चित ही प्रयासकर्ता का वरण करती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है।



अंग प्रत्यारोपण एक जीवनदाई प्रक्रिया



डॉ. कृष्णा नंद पांडेय

मानव अपनी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी अपने अंगों को दान कर सकता है। जी हां! मरने के बाद भी अंगों को दान कर किसी को जीवन दान मिल सकता है। तो चलिए हम आपको इस आलेख में बता रहे हैं कि मरने के कितने समय बाद अंगों को दान कर सकते हैं।

अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक जीवनरक्षक प्रक्रिया है, जिसमें सर्जरी के माध्यम से किसी व्यक्ति के खराब, आंशिक अथवा पूरी तरह नष्ट/निष्क्रिय रोगग्रस्त अंग के स्थान पर किसी स्वस्थ दानकर्ता से प्राप्त अंग अथवा अंग के एक हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है। शरीर के किसी अंग के क्षतिग्रस्त होकर काम नहीं करने की स्थिति में उसकी जगह स्वस्थ अंगों को प्रत्यारोपित करना अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। दानकर्ता से प्राप्त अंग को प्राप्तकर्ता में प्रत्यारोपित करने से पहले कड़ी सावधानियां अपनानी पड़ती हैं। ट्रांसप्लांट सेंटर में विधिवत जांच के पश्चात प्रभावित व्यक्ति को राष्ट्रीय ट्रांसप्लांट की

में लोग मृतप्राय अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए जाते हैं, जिनमें अति गम्भीर मामलों में मौतें हो जाती हैं। कभी-कभी चिकित्सक ऐसे व्यक्तियों के पहुंचते ही मृत घोषित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति के शरीर में सुरक्षित अंगों को अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपित कर उसे जीवनदान दिया जा सकता है।

कौन कर सकता है अंगदान?

अंगदान करने वाले व्यक्ति की आयु, उसके स्वास्थ्य और अन्य मापदंडों की जांच की जाती है। जीवित व्यक्ति द्वारा अपने किसी अंग या अंग के एक हिस्से को दान करने का निर्णय लिया जा सकता है। चिकित्सा विशेषज्ञों की एक संगठित मेडिकल टीम की सलाह से वह अपने रिश्तेदार अथवा परिवार के किसी सदस्य को गुर्दा, यकृत के कुछ हिस्से, कुछ ऊतकों का अपने जीवनकाल में ही दान कर सकता है।

मृतक से प्राप्त अंग को प्रत्यारोपित करने की उपयुक्त अवधि

मृत्यु के बाद अंगदान करने के लिए समय सीमा विभिन्न अंगों के लिए अलग-अलग होती है। चिकित्सा और शल्यक्रिया विशेषज्ञों के अनुसार कुछ प्रमुख अंगों के प्रत्यारोपण के लिए निम्नलिखित समय सीमा निर्धारित की गई है :

- हृदय: 4-6 घंटे ● फेफड़े: 4-6 घंटे ● गुर्दे (किडनी): 72 घंटे
- पैंक्रियाज़: 24 घंटे ● आंत: 6 घंटे ● कॉर्निया: 14 दिन
- हड्डियां: 5 वर्ष ● त्वचा: 5 वर्ष ● हृदय वाल्व: 10 वर्ष ● यकृत (लिवर): 6-12 घंटे, कुछ मामलों में 24 घंटे तक भी सम्भव

यह समय सीमा मृत्यु के बाद अंगों को संरक्षित करने और उन्हें सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अंगदान के लिए समय सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि अंगों को सुरक्षित रूप से प्रत्यारोपित किया जा सके और मरीज की जान बचाई जा सके। दानकर्ता और प्राप्तकर्ता एक-दूसरे से दूर रहने की स्थिति में प्राप्त अंग को उपयुक्त रासायनिक मीडिया में संरक्षित रखते हुए उसे प्राप्तकर्ता के स्थान तक निर्धारित समय सीमा के भीतर पहुंचाना अनिवार्य होता है, यानी अंग प्रत्यारोपण में दानकर्ता से प्राप्त अंग अथवा उसके किसी हिस्से का उपयुक्त परिवहन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित किया जाता है, इसके उपरांत उसके लिए एक अंग की प्रतीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। सर्वप्रथम प्रभावित व्यक्ति और अंगदान करने वाले व्यक्ति यानी अंगदाता के बीच साम्यता का निर्धारण किया जाता है। रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप, शरीर के आकार, रोगी की गम्भीरता, अंगदाता से दूरी, ऊतक के प्रकार और प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित होने की अवधि जैसी स्थितियों के आधार पर अंगदाता को वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि शरीर के अंग का मिलान यानी मैच करना लिंग, जाति, आय और समाज में व्यक्ति के विशेष स्तर के आधार पर बिल्कुल नहीं किया जाता। प्रतीक्षा अवधि बहुत अधिक होने और अंगदाता नहीं मिलने जैसी स्थितियों में प्रतीक्षा सूची में शामिल औसतन 20% लोगों की प्रतिदिन मृत्यु हो जाती है।

मृत व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को जीवन दान

प्रत्यारोपित किए जाने वाले अधिकांश अंग जीवित व्यक्ति से प्राप्त किए जाते हैं। प्रायः, गम्भीर चोट लगने, दौरा पड़ने, हार्ट अटैक, अथवा गम्भीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त होने जैसी स्थितियों



AGARWAL
DELIVERING GROWTH

Emerald
GARDENIA

The Iconic Address of Luxury

Where
Life Grows
in harmony With Nature

RERA No. P-IND-23-4209

ENQUIRE NOW

PREMIUM RESIDENTIAL PLOTS

Starting
INR.

1cr.

PLOT SIZE:

1200-1800
SQ. FT.



Follow us on
Instagram



Scan for the walkthrough of
GARDENIA



www.emeralddevelopers.com

अग्रवाल हाउस, 5, यशवंत कॉलोनी, इंदौर -
452003 (म.प्र.) फोन: +91-76106-76106

भारत ने यूपीआई के प्रतिदिन होने वाले व्यवहारों की संख्या के मामले में अमेरिका, चीन एवं पूरे यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में भारत के यूपीआई सिस्टम का विश्व के 6 देशों यथा यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रांस, ओमान, मॉरीशस, श्रीलंका, भूटान एवं नेपाल में उपयोग हो रहा है।

यूपीआई ने वीजा को पीछे छोड़ा



प्रहलाद सबनानी

हाल ही के समय में भारत विभिन्न क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नित नए रिकार्ड बना रहा है। कुछ क्षेत्रों में तो अब भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने बैंकिंग व्यवहारों के मामले में तो जैसे क्रांति ही ला दी है। अभी हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में बैंकिंग व्यवहारों के मामले में भारत के यूनफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ने अमेरिका के 67 वर्ष पुराने वीजा एवं मास्टर कार्ड के पेमेंट सिस्टम को प्रतिदिन होने वाले आर्थिक व्यवहारों की संख्या के मामले में वैश्विक स्तर पर पीछे छोड़ दिया है। वैश्विक स्तर पर अब भारत विश्व का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट नेटवर्क बन गया है। भारत में वर्ष 2016 के पहले ऑनलाइन पेमेंट का मतलब होता था केवल वीजा और मास्टर कार्ड। वीजा और मास्टर कार्ड को चलाने वाली अमेरिका की ये दोनों कम्पनियां पूरी दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट का एकाधिकार रखती थीं। वीजा की शुरुआत अमेरिका में वर्ष 1958 में हुई थी और धीरे-धीरे यह कम्पनी 200 से अधिक देशों में फैल गई और ऑनलाइन भुगतान के मामले में पूरे विश्व पर अपना एकाधिकार जमा लिया। वैश्विक स्तर पर इस कम्पनी को चुनौती देने के उद्देश्य से भारत ने वर्ष 2016 में अपना पेमेंट सिस्टम यूपीआई के रूप में विकसित किया और वर्ष 2025 आते-आते भारत का यूपीआई सिस्टम आज पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर आ गया है।

यूपीआई पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग व्यवहार चुटकी बजाते ही हो जाते हैं। आज सब्जी वाले, चाय वाले, सहायता प्राप्त करने वाले नागरिक एवं छोटी-छोटी राशि के आर्थिक व्यवहार करने वाले नागरिकों के लिए यूपीआई सिस्टम ने ऑनलाइन बैंकिंग व्यवहार करने को बहुत आसान बना दिया है। आज भारत के यूपीआई सिस्टम के माध्यम से प्रतिदिन 65 करोड़

से अधिक व्यवहार (1800 करोड़ से अधिक व्यवहार प्रति माह) हो रहे हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वीजा कार्ड से माध्यम से प्रतिदिन 63.9 करोड़ व्यवहार हो रहे हैं। इस प्रकार भारत के यूपीआई ने दैनिक व्यवहारों के मामले में 67 वर्ष पुराने अमेरिका के वीजा को पीछे छोड़ दिया है। भारत में केंद्र सरकार की यह सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। भारत अब इस मामले में पूरी दुनिया का लीडर बन गया है। भारत ने यह उपलब्धि केवल 9 वर्षों में ही प्राप्त की है। विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी भारत के यूपीआई सिस्टम की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह नई तकनीकी का चमत्कार है एवं यह सिस्टम अत्यधिक प्रभावशाली है।

भारत में यूपीआई की सफलता की नींव केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई कई आर्थिक योजनाओं के माध्यम से पड़ी है। समस्त नागरिकों के आधार कार्ड बनाने के पश्चात जब आधार कार्ड को नागरिकों के बैंक खातों से जोड़ा गया और केंद्र सरकार द्वारा देश के गरीब वर्ग की सहायता के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि को सीधे ही नागरिकों के बैंक खातों में जमा किया जाने लगा तब एक सुदृढ़ पेमेंट सिस्टम की आवश्यकता का अनुभव हुआ और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में यूपीआई का जन्म वर्ष 2016 में हुआ। यूपीआई को आधार कार्ड एवं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंकों में खोले गए खातों से जोड़ दिया गया। नागरिकों के मोबाइल क्रमांक और आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़कर यूपीआई सिस्टम के माध्यम से आर्थिक एवं लेन-देन व्यवहारों को आसान बना दिया गया। यूपीआई के माध्यम से केवल कुछ ही मिनटों में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में राशि का अंतरण किया जा सकता है। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में यूपीआई के आने के बाद तो अब भारत के नागरिक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड को भी भूलने लगे हैं।



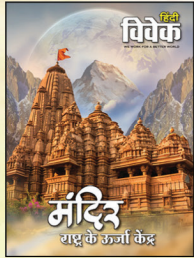
आपकी आवाज को बुलंद करने वाली सम्पूर्ण पारिवारिक व सामाजिक मासिक पत्रिका

पुस्तकों का खजाना

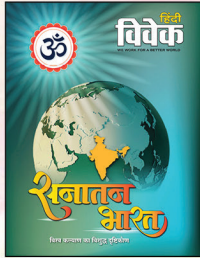
हिंदी विवेक

"We Work For A Better World"

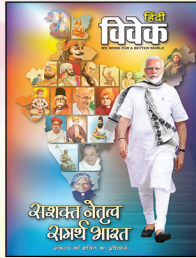
10 से अधिक प्रतियां
बुक करने पर विशेष
छूट दी जाएगी



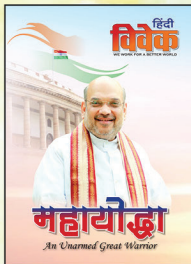
₹ 700/-



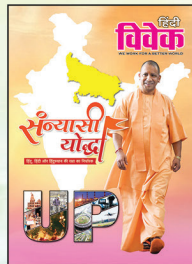
₹ 700/-



₹ 700/-



₹ 700/-



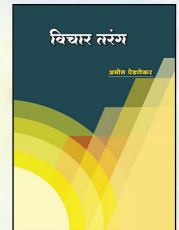
₹ 700/-



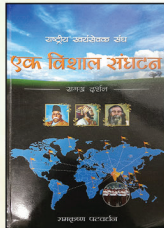
₹ 400/-



₹ 60/-



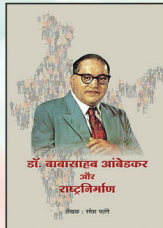
₹ 200/-



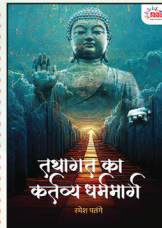
₹ 500/-



₹ 250/-



₹ 180/-



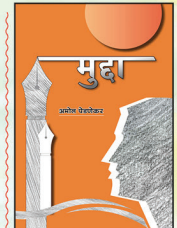
₹ 250/-



₹ 250/-



₹ 150/-



₹ 200/-

Draft or Cheque should be
drawn in the name of

HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

- Bank Details : State Bank of India
- Branch : Charkop,
- A/C No. : 00000043884034193
- IFSC Code : SBIN0011694

पंजीकरण हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि अथवा कांदिवली कार्यालय में सम्पर्क करें।

प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर-10, सेक्टर-2, श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे,
हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई- 400067



UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड
स्कैन करें और मैसेज बॉक्स में अपना
नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

प्रशांत : 9594961855 / भोला : 9930016472 / संदीप : 7045961331

कार्यालय : 9594991884 Email : hindivivekvargani@gmail.com

मोस्टामानू

यहां होती है मनोकामना पूरी



मं

दिरों से

लोगों की आस्था व विश्वास जुड़ा होता है। ऐसा ही एक मंदिर है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर में। इस मंदिर में मोस्टामानू देवता की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि मोस्टामानू खुशहाली और समृद्धि देने वाले देवता हैं। मोस्टामानू को जल का देवता भी कहा गया है। इन्हें पूरे क्षेत्र में वर्षा के देवता के रूप में पूजा जाता है तथा माना जाता है कि यह इंद्र के पुत्र हैं तथा माता कालिका इनकी मां हैं। मान्यता है कि मोस्टामानू को इंद्र ने भूलोक पर अपना भोग प्राप्त करने के लिए अपना प्रतिनिधि बनाया है।

मोस्टामानू मंदिर उत्तराखंड के दिव्य स्थलों में से एक है। यहां पर ऐसे तो वर्षभर भक्तों की भीड़ रहती है, परंतु सावन-भादों में अधिक संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। जिन दिनों में वर्षा होती है उन दिनों में इनकी पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है।

मोस्टामानू कौन हैं और यह कहां से आए, के संदर्भ में यहां के निवासियों का कहना है कि यह एक संत थे जिनका नाम था मुस्तमानव। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। यह संत नेपाल से यहां आए थे। इस मान्यता को यदि देखा जाए तो यह मंदिर काठमांडू के बाबा पशुपतिनाथ के मंदिर की प्रतिकृति लगता है। यहां का द्वार मन मोहने वाला है तथा मंदिर के अंदर शिव परिवार उपस्थित है। एक विशेष बात इस मंदिर की है कि यहां पर एक पत्थर रखा है और कहा जाता है कि मन में यदि श्रद्धाभाव से शिवजी को याद करके

उस पत्थर को उठाया जाए तो वह आसानी से उठ जाता है, अन्यथा उसे उठाने के लिए आप कितनी भी ताकत लगा लें वह टस से मस नहीं होता। इस पत्थर की समानता कौसोनी के पास स्थित बैजनाथ मंदिर में रखे उसे पत्थर से की जाती है जिसे उठाने के लिए भी शिव को प्रसन्न करना पड़ता है या फिर उनकी आराधना ही उसे हिला सकती है।

उत्तराखंड की सोर घाटी के इस देवता को प्रसन्न करने के लिए हर वर्ष ऋषि पंचमी को तीन दिवसीय मेला लगता है। यह मेला कभी-कभी दो दिन भी चलता है। इस मेले में मोस्टा देवता को प्रसन्न करने के लिए उनका डोला बड़े हर्ष और श्रद्धा के साथ निकाला जाता है। यह भी किवंदंती है कि इस मेले के दौरान मोस्टा देवता अवतरित होते हैं। यह भी मान्यता है कि यदि यह देवता नाराज हो जाएं तो विध्वंस होने में देर नहीं लगती। वैसे मोस्टा को क्षेत्र के रक्षक देवता माना गया है। जब किसी के घर में कोई संतान होती है या फिर विवाह के बाद नवविवाहित जोड़ी यहां पर आशीर्वाद लेने आते हैं। मंदिर की देखरेख सेना के जवान भी करते हैं और यहां पर आकर मनोकामना मांगने वाले पूरी हो जाने पर एक घंटी अर्पित कर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं।





संवेदनाओं को कुरेदती तन्वी: द ग्रेट

फिल्म समीक्षा

‘तन्वी: द ग्रेट’ केवल ऑटिज्म या सेना की कहानी नहीं बल्कि यह रिश्तों, सपनों, समझ और बदलाव की कहानी है। यह फिल्म आपको बेहतर मानव बनने की ओर अग्रसर कर सकती है, आपको प्रेरणा दे सकती है।



देवेंद्र खन्ना

आपके दिल से कोई सपना जुड़ा हो और आपके अंदर उसे पूरा करने का जुनून और उत्साह हो तो कोई भी रुकावट महत्व नहीं रखती। कुछ ऐसा ही संदेश अनुपम खेर निर्देशित फिल्म ‘तन्वी: द ग्रेट’ देते हुए दिखाई दे रही है। ये फिल्म अनुपम खेर की बतौर निर्देशक तीसरी फिल्म है। इनकी पहली दो फिल्में ‘ओम जय जगदीश’ और ‘मैंने गांधी को नहीं मारा’ कुछ विशेष करिश्मा नहीं कर पाई थी, पर तन्वी की बात अलग है। ये दिल को छू लेने वाली भावनात्मक फिल्म है और जिस तरह भावनाएं समाप्त हो रही हैं, उन्हें जीवित करने में भी ये फिल्म उपयुक्त सिद्ध होगी। शुक्रवार को यशराज की रोमांटिक फिल्म सईयारा सहित कई फिल्मों के साथ फिल्म ‘तन्वी: द ग्रेट’ भी 18 जुलाई को रिलीज हुई है। सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म दिल को छू जाने में सफल होती दिख रही है। ये फिल्म 2 घंटा 39 मिनट की है। फिल्म थोड़ी धीमी अवश्य है, पर इसका ताना-बाना और इमोशन आपको बांधे रखता है। फिल्म की कहानी दिल्ली से लैंसडाउन (उत्तराखंड) तक की एक भावनात्मक यात्रा है। तन्वी (शुभांगी दत्त) एक ऑटिस्टिक बच्ची है, जिसे उसकी

मां विद्या (पल्लवी जोशी) विदेश जाने से पहले उसके दादा कर्नल रैना (अनुपम खेर) के पास छोड़ जाती है। कर्नल रैना सेना से रिटायर हो चुके हैं और बहुत अनुशासित हैं। शुरुआत में उन्हें तन्वी की दुनिया समझ नहीं आती, परंतु धीरे-धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनता है। कहानी तब मोड़ लेती है जब तन्वी को अपने बलिदानी पिता (करण टैकर) का एक वीडियो मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो चाहते थे कि वो एक दिन सियाचिन में तिरंगे को सलाम करें और फिर यही सपना तन्वी भी देखने लगती है कि वह सेना में भर्ती होकर अपने पिता का सपना पूरा करेगी। ये सफर उसके लिए आसान नहीं था, पर भावनात्मक मोड़ लेते हुए वो आगे बढ़ती है। इस यात्रा में एक आर्मी ऑफिसर मेजर श्रीनिवासन (अरविंद स्वामी) तन्वी की राह तब आसान कर देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि कभी जिस अनजान व्यक्ति ने खून देकर उनकी जान बचाई थी वो खून देने वाला और कोई नहीं बल्कि तन्वी के बलिदानी पिता थे। अब वही छोटी बच्ची सेना में आने का सपना देख रही है। ये बात उन्हें भीतर तक झकझोर देती है। शुभांगी दत्त ने अपना किरदार पूरे दिल से जिया है। उसका हर इमोशन आपको अंदर तक छू जाता है। अनुपम खेर ने अपने किरदार को बड़े ही सच्चे और सादे तरीके से निभाया है। एक सख्त दादा कैसे धीरे-धीरे एक नन्ही बच्ची के साथ बदलता है। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। तन्वी की इस कहानी में ब्रिगेडियर जोशी (जैकी श्रॉफ), म्यूजिक टीचर राज साब (बोमन ईरानी) और मेजर कैलाश श्रीनिवासन (अरविंद स्वामी) किस तरह से उसका साथ देते हैं, ये सब भी सर्वश्रेष्ठ है। कुल मिलाकर पल्लवी जोशी, बोमन ईरानी, जैकी श्रॉफ, अरविंद स्वामी, नास्सर और आईन ग्लेन जैसे कलाकारों ने भी छोटी भूमिकाओं में असर छोड़ा है। अनुपम खेर का निर्देशन बहुत संतुलित और भावनात्मक है, ऐसा होना स्वाभाविक भी है, चूंकि अनुपम खेर ने इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा अपनी ऑटिस्टिक भांजी तन्वी से ली और इसलिए उन्होंने इसे दिल से बनाने का प्रयास भी किया है और उनका यह प्रयास हमारे दिल तक पहुंचने में सफल भी होता दिखाई दे रहा है। फिल्म में लैंसडाउन (उत्तराखंड) की सुंदरता और शांति को कैमरे ने बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है। फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी लग सकती है, परंतु इसी धीमेपन में इसकी गहराई छुपी है। फिल्म में न कोई जोरदार डायलॉग हैं, न ही कोई बनावटी ड्रामा। बस सच्चाई, भावनाएं और बहुत प्यार है, जो दिल को छूती है। एमएम कीरवानी का संगीत फिल्म की आत्मा को साथ लेकर चलता है। गाने दिल को छूते हैं।



जंगल सत्याग्रह और डॉ. हेडगेवार



स्वाधीनता आंदोलन में 1930 के 'नमक सत्याग्रह' का बड़ा महत्व है। देशभर में यह आंदोलन हुआ था। जहां समुद्र नहीं थे, वहां किसी भी जनविरोधी कानून को तोड़कर लोगों ने सत्याग्रह किया। मध्य भारत तथा महाराष्ट्र आदि में इसे 'जंगल सत्याग्रह' कहा गया। चूंकि वहां सरकार बिना अनुमति किसी को जंगल से घास भी नहीं काटने देती थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प. पू. सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार भी 21 जुलाई, 1930 को इसमें सहभागी हुए।

12 जुलाई को एक गुरुदक्षिणा कार्यक्रम में डॉक्टर जी ने सत्याग्रह की बात कही तथा वापसी तक डॉ. परांजपे को पू. सरसंघचालक की जिम्मेदारी सौंपी। 14 जुलाई को वे साथियों सहित रेलगाड़ी से वर्धा गए। अगले दिन वहां श्रीराम मंदिर में स्वागत समारोह तथा शोभायात्रा हुई। क्रमशः पुलगांव, धामड़ागांव होते हुए वे 'पुसद' पहुंचे, पर वहां सत्याग्रह पहले ही शुरू हो चुका था। अतः संचालकों ने उनसे 21 जुलाई को यवतमाल में सत्याग्रह का शुभारम्भ करने को कहा, पर इसमें कई दिन बाकी थे। अतः खाली बैठने की बजाय डॉक्टर जी पुसद और आसपास के क्षेत्र में प्रचार और सम्पर्क करने लगे।

एक दिन सुबह जब वे नदी से लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक मुस्लिम गाय काटने जा रहा है। उनके विरोध पर अन्य कसाई भी आ गए। डॉक्टर जी ने उन्हें गाय की कीमत देनी चाही, पर वे नहीं माने। बात बढ़ने पर लोगों ने बीचबचाव किया। एक ने कहा कि आप जंगल सत्याग्रह के लिए आए हैं, तो इस चक्कर में न पड़ें। डॉक्टर जी ने गोरक्षा को भी जंगल सत्याग्रह जैसा ही महत्वपूर्ण कहा। इतने में पुलिस आकर दोनों पक्षों को थाने ले जाने लगी। डॉक्टर जी तो तैयार थे, पर कसाई डर गए। उन्होंने 30 रु. में गाय छोड़ दी। डॉक्टर जी ने वह

गोरक्षा सभा को दे दी। इससे सब ओर उनका नाम चर्चित हो गया।

शाम की सभा में भारी भीड़ के बीच डॉक्टर जी ने कहा कि स्वाधीनता के लिए अंग्रेजों के जूते पॉलिश से लेकर उनके सिर पर जूते मारने जैसे सब काम करने को मैं तत्पर हूं। अगले दिन सब यवतमाल आ गए। कई स्वयंसेवक गणवेश पहनकर सत्याग्रह करना चाहते थे, पर डॉक्टर जी ने उन्हें स्वयंसेवक की बजाय आम नागरिक की तरह सत्याग्रह करने को कहा।

21 जुलाई को रणसिंघे के घोष के साथ निकली शोभायात्रा में 4,000 लोग शामिल थे। नगर भवन के मैदान में ध्वजवंदन के बाद जय्ये के नेता डॉक्टर जी को चांदी का तथा बाकी को सामान्य हंसिए दिए गए। रुई मंडी होते हुए सत्याग्रही पैदल, साइकिल, बैलगाड़ी तथा मोटर आदि से निर्धारित स्थान (यवतमाल से 10 कि.मी दूर लोहारा जंगल) में पहुंचे। पहले से सूचना के कारण पुलिस वहां थी ही। लगभग 10,000 लोग भी सत्याग्रह देखने आए थे।

पुलिस वालों ने अनुमति की बात पूछी, पर वे तो सत्याग्रह करने आए थे। अतः वे जंगल में घुसकर घास काटने लगे। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर यवतमाल के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अगले दिन 22 जुलाई को नागपुर के स्वयंसेवक शाखा पर एकत्र हुए। वहां डॉक्टर जी के साथ गए एक स्वयंसेवक ने पूरी जानकारी दी। सरसंघचालक डॉ. परांजपे ने डॉक्टर जी द्वारा काटी गई घास ध्वज के सम्मुख अर्पित की। जेल में अच्छे व्यवहार के कारण डॉक्टर जी समय से पूर्व 14 फरवरी, 1931 को ही छोड़ दिए गए। 17 फरवरी को वे नागपुर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। डॉ. परांजपे ने उन्हें फिर से पू. सरसंघचालक



विजय कुमार



मनोज कुमार बघन

भारत विविधताओं का देश है। यहां प्रत्येक प्रदेश की अपनी कुछ अलग विशेषताएं हैं। एक ऐसी ही लोक चित्रकला है बुंदेलखंड की चितेरी कला, जो अपने कुछ चुने कलाकारों के दम पर पुनर्जीवन को लालायित है। एक ओर जहां बिहार की मिथिला लोकचित्र शैली आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराही जाती है, वहीं बुंदेलखंड की चितेरी कला अपने

लोकचित्र शैली में पूर्णतः प्राकृतिक एवं खनिज रंगों का प्रयोग होता था, पर अब दोनों विधा के चितेरे रासायनिक रंगों का खुलकर प्रयोग करने लगे हैं। चितेरी कला के कलाकार फ्लोरोसेंट रंगों का प्रयोग अपने चित्रों में करने लगे हैं।

ये जिस फलक पर चित्र उकेरा करते थे उस कागज को पना कहते हैं। खनिज रंगों में हिरमिजी, गेरू, रामराज एवं स्वर्ण रंगों का

विविधताओं का रंग गाढ़ा करती चितेरी कला



अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। चितेरी कला के प्रथम ज्ञात कलाकार सुखलाल को माना जाता है। सुखलाल के पुत्र मगनलाल एवं गिरधारीलाल ने भी अपने पिता की पुश्तैनी परम्परा को जीवित रखा। मगनलाल के पुत्र परम तथा भोजे ने भी कला परम्परा को जीवित रखा। ऐसा कहा जाता है

कि झांसी के चितोरियाना बस्ती में आज भी उनके वंशज रहते हैं।

बुंदेलखंड के चितेरी कला की तुलना आज मिथिला लोक चित्रशैली से इसलिए की जा सकती है क्योंकि दोनों में ही साम्यताएं दिखाई देती हैं। पहली साम्यताएं हैं दोनों का दीवारों पर लिखा जाना। दूसरी है, मिथिला लोक चित्रशैली में जो विषय कोहबर चित्रकला में आते हैं। बुंदेलखंड में चितेरी कला भी वैसे ही दिखता है।

बुंदेलखंड में विवाह की अनिवार्य पहचान है चितेरी कला। चितेरी कला में पहले आकार बनाए जाते हैं, उसके बाद काले रंग से आउटलाइन की जाती है, जबकि इसके विपरीत मिथिला लोक चित्रशैली में पहले रेखांकन की परम्परा है। रेखांकन के बाद रंग भरने का कार्य पूरा किया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर जो है वो दोनों लोक चित्रशैली में है। इन दोनों

प्रयोग करते थे। श्वेत रंग संगमरमर, सीप, शंख एवं कौड़ी से प्राप्त करते हैं। प्रशासनिक रंगों में शीशा, इगुल, सिंदूर एवं काजल का प्रयोग करते हैं। चितेरी कला में नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए दुल्हन के घर की दीवारों पर विशिष्ट पैटर्न और देवी-देवताओं की आकृतियां चित्रित की जाती हैं। यह चित्र रंग और रूप की भाषा में निहित मौन प्रार्थनाओं के रूप में कार्य करते हैं। स्वास्तिक सूर्य और कमल जैसे कुछ रूपांकर सार्वभौमिक रूप से शुभ हैं, जो मिथिला लोक चित्रशैली में भी पाया जाता है। इसके इतर तुलसी और गणेश की छवि सुरक्षा एवं सौभाग्य के सूचक हैं। इस शैली के कलाकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के चित्र सृजित करते थे। धार्मिक सामाजिक एवं पशुओं के चित्र, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण लीला के चित्र, दीपावली पर लक्ष्मी जी के चित्र (कागज) पना पर, वैवाहिक एवं मांगलिक अवसरों पर दीवारों पर चित्र सृजित किए जाते हैं। चितेरी कला 16वीं शताब्दी की मानी जाती है। माना जाता है कि यह चित्र बुरी आत्मा को भगाती है तथा समृद्धि को आकर्षित करती है। इस कला का उपयोग यह दर्शाने के लिए भी किया जाता है कि घर में शीघ्र ही शादी होने वाली है, साथ ही साथ यह कला दर्शाती है कि घर में शादी लड़के की है या लड़की की। चित्र शैली के साथ लड़के का नाम लिखा है मतलब लड़के की शादी होने वाली है, यदि लड़की का नाम लिखा है तो शादी लड़की की होगी।



चित्रकला

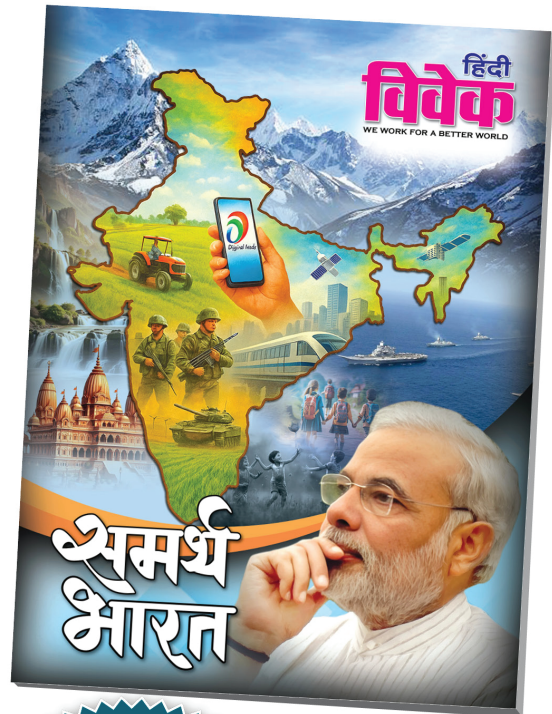
चितेरी कला बुंदेलखंड की लोक चित्रकला है। यह कला दीवारों पर उकेरी जाती है। इसकी तुलना मिथिला की चित्रशैली से भी की जाती है। चितेरी कला के बारे में विस्तृत विवरण इस आलेख में किया गया है।

स्वयं के लिए और अपने परिजनों के लिए विशेषांक का पंजीयन करें

विशेषांक में आप पढ़ेंगे

- ऑपरेशन सिंदूर से भारत की सैन्य शक्ति और आयुध निर्माण का परिचय।
- विदेश नीति के सभी मापदंडों पर भारत को मिलता यश।
- वैश्विक अस्थिरता की परिस्थिति में भारत की ओर देखने का विश्व का विश्वासपूर्ण दृष्टिकोण।
- भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनने पर अर्थपूर्ण चर्चा।
- अधिकतम जनसंख्या वाला देश होने के कारण वैश्विक बाजार में उभरता भारत।
- विश्वगुरु बनने की राह में भारत के सम्मुख विभिन्न वर्तमान चुनौतियां।
- स्व जागरण एवं स्वदेशी से आत्मनिर्भर और समर्थ होता भारत।
- राजनीति और राष्ट्रनीति का समन्वय।
- राजनीति, सामाजिक और उद्योग क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के विशेष साक्षात्कार।
- आतंकवाद, नक्सलवाद, घुसपैठ, जातिगत भेद से उपजे आंदोलन तथा भाषाई मतभेद।

तथा अन्य...



मूल्य

₹ 100/-

पृष्ठ संख्या - 150

**विशेषांक पंजीयन हेतु पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि
अथवा कांदिवली (मुम्बई) कार्यालय में सम्पर्क करें।**

Draft or Cheque should be
drawn in the name of

HINDUSTHAN PRAKASHAN SANSTHA HINDI VIVEK

Bank Details : State Bank of India, Branch - Charkop, A/C No. : 00000043884034193, IFSC Code : SBIN0011694



UPI पेमेंट गेटवे के लिए QR कोड
स्केन करें और मैसेज बॉक्स में अपना
नाम, पता व सम्पर्क नम्बर दर्ज करें।

हिंदी विवेक कार्यालय

प्लॉट नम्बर 7, आरएससी रोड नम्बर 10, सेक्टर - 2, श्रीकृष्ण बिल्डिंग के पीछे,
हनुमान मंदिर बस स्टॉप के समीप, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम), मुंबई - 400067

सम्पर्क : +91 95949 91884

hindivivekvargani@gmail.com / hindivivekadvt@gmail.com



विश्व हिंदू परिषद के साधु संत सम्पर्क अभियान के अवसर पर हिंदी विवेक द्वारा प्रकाशित 'मंदिर राष्ट्र के उर्जा केंद्र' ग्रंथ घाटकोपर प्रतिनिधि नवल किशोर पुराणिक ने महालक्ष्मी स्थित साधुबेला के महंत महामंडलेश्वर स्वामी गौरीशंकर जी महाराज को भेंट की।

कीर्तनकार डॉ. चारुदत्त आफळे ने भक्तों को किया मंत्रमुग्ध

छत्रपति संभाजीनगर शहर के बीड बाईपास स्थित त्रिलोक सिंह जबिदा लान्स में वरिष्ठ कीर्तनकार निरुपणकार डॉ. चारुदत्त आफळे ने अपनी मधुर आवाज से छत्रपति संभाजी नगर के लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सात दिवसीय श्रीमद भागवत कथा ज्ञानयज्ञ सप्ताह के शुभारम्भ के अवसर पर विगत मंगलवार को कृष्णा महाराज आरगडे के मार्गदर्शन में घोड़े, ध्वज लहराते हुए सिर पर तुलसी के पौधे को गमले में लेकर एक शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर श्रीमद भागवत कथा ज्ञानयज्ञ सप्ताह आरम्भ होने के पूर्व उस स्थल पर स्तम्भ पूजन भी किया गया। इस अवसर पर अनेक दानदाताओं ने अनाज व नकद राशि भी दान किया। इस अवसर पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया।



श्री विष्णु सहस्रनाम महोत्सव का आयोजन

मधुकर दाभोलकर के आध्यात्मिक प्रवचन से प्रेरित होकर, नासिक के गणेशोत्सव समिति द्वारा विष्णु सहस्रनाम का पाठ आयोजित किया गया। उक्त आयोजन नासिक के गणेशोत्सव क्षेत्र में स्थित रामकुंड, तपोवन, सिद्धवट, गोदावरी तट और पंचवटी स्थानों पर विष्णु सहस्रनाम के पाठ किया गया। विदित हो कि उक्त आयोजन 17 जुलाई से रामकुंड तपोवन में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में भक्तों ने भगवान विष्णु के नामों का पाठ किया। इस दौरान शहर के नागरिकों ने भी इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया।



राष्ट्र सेविका समिति की त्रिदिवसीय अर्धवार्षिक बैठक



स्वबोध के आधार पर चिंतन तथा विचार मंथन कर हमें देश, धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करना है। उक्त बातें राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय कार्यकारिणी एवं प्रतिनिधि मंडल की अर्धवार्षिक बैठक में प्रमुख कार्यवाहिका सीता गायत्री ने कहीं। विगत 18 जुलाई 2025 से तीन दिवसीय बैठक नागपुर स्थित स्मृति मंदिर, रेशिम बाग में चल रही है। उक्त बैठक प्रमुख संचालिका शांताकुमारी, प्रमुख कार्यवाहिका सीता गायत्री की अध्यक्षता में आयोजित हो रही है। बैठक में 38 प्रांतों से लगभग 500 प्रतिनिधि सेविकाएं सहभागी उपस्थित हैं। उद्घाटन सत्र के अवसर पर प्रमुख कार्यवाहिका सीता गायत्री ने समिति कार्य का विवरण दिया, साथ ही शिक्षा वर्गों की समीक्षा की। इन्होंने कहा कि समिति की शाखा संख्या, मिलन केंद्र, शाखायुक्त जिले और सेवा कार्य में वृद्धि हुई है। 1799 स्थानों पर महिलाओं के लिए सेवाकार्य चल रहे हैं। सेवाकार्य में संस्कार वर्ग एवं

स्वावलम्बन, आरोग्य तथा योग केंद्र चलाए जाते हैं। दुर्गम भागों की छात्राओं के लिए छात्रावास चलाए जा रहे हैं। समिति द्वारा वर्ष 2025 में देशभर के विभिन्न स्थानों पर कुल मिलाकर 224 शिक्षा वर्ग आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 15,273 सेविकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती के अवसर पर गत वर्ष से अब तक 4392 स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें लगभग 1 लाख 51 हजार 519 नागरिकों की सहभागिता रही। मंदिर तथा नदी स्वच्छता, वृक्षारोपण, देवी अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित नाट्य-नृत्य प्रस्तुति, शोध प्रबंध, वक्तृत्व, निबंध स्पर्धाएं आदि का आयोजन किया गया। महेश्वर में शिवसंकल्प स्वरनाद यह विशेष भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस बैठक में समिति की विविध स्तर की पदाधिकारी उपस्थित हैं। ज्ञातव्य हो कि बैठक का समापन 20 जुलाई को होगा।



